

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
(विश्वकर्मा भवन)

कार्य.अनु.अनु-15011/1/2022- कार्य.अनु.अनु

दिनांक: 10 अगस्त 2026

कार्यालय आदेश

संपदा निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.07.2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2/2015-पीओएल.III के अनुसरण में तथा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक के अनुमोदन से, स्टाफ क्वार्टर्स एवं निदेशक के बंगले का लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	रहने का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	मौजूदा लाइसेंस शुल्क (01.07.2023 से)	01.07.2026 से लाइसेंस शुल्क
1	I	35.62	₹ 440/- P.M	₹ 490/- P.M
2	II	46.57	₹ 440/- P.M	₹ 490/- P.M
3	III	57.02	₹ 660/- P.M	₹ 740/- P.M
4	IV	73.19	₹ 880/- P.M	₹ 980/- P.M
5	V	135.00	₹ 1750/- P.M	₹ 1850/- P.M
6	निदेशक का बंगला	184.00	₹ 2590/- P.M	₹ 2900/- P.M

2. संस्थान के लेखा अधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 01.07.2026 से प्रकार I, II, III, IV, V एवं निदेशक के बंगले के संबंध में लाइसेंस शुल्क, रहने के क्षेत्रफल के अनुसार, कटौती करें।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमर नाथ गुप्ता
(अमर नाथ गुप्ता)

कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को।
2. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान।
3. डीन के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान।
4. उप निदेशक (प्रशा के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान।
5. संस्थान के सूचना पट्ट।
6. प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र, से अनुरोध है कि कृपया इस आदेश को संस्थान की वेबसाइट एवं ई-ऑफिस वेब पोर्टल पर अपलोड करें।

THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(VISHWAKARMA BHAWAN)

WMS-15011/1/2022-WMS

Date: 10 Aug 2026

OFFICE ORDER

In pursuance of O.M. No. 18011/2/2015-Pol.III dated 17.07.2026 issued by the Directorate of Estate, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India and with the approval of the Director, NIHFV, the license fee of Staff Quarters and Director's Bungalow has been revised as under:

S. No.	Type of Flats	Living Area (sq.m)	Existing license fee (up to 01.07.2023)	License fee as on 01.07.2026
1	I	35.62	₹ 440/- P.M	₹ 490/- P.M
2	II	46.57	₹ 440/- P.M	₹ 490/- P.M
3	III	57.02	₹ 660/- P.M	₹ 740/- P.M
4	IV	73.19	₹ 880/- P.M	₹ 980/- P.M
5	V	135.00	₹ 1750/- P.M	₹ 1850/- P.M
6	Director's Bungalow	184.00	₹ 2590/- P.M	₹ 2900/- P.M

2. Accounts Officer, NIHFV is requested to deduct the License fee in respect of Type I, II, III, IV, V & Director's Bungalow w.e.f 01.07.2026 at the prescribed rate, i.e. w.r.t. living area.
3. This is issued with the approval of the competent authority.


(Amar Nath Gupta)
Workshop & Maintenance Officer

Copy to:

1. All the HODs/ Section Heads
2. SPA to Director, NIHFV.
3. SPA to Dean, NIHFV.
4. PA to Dy. Director(Admn.), NIHFV.
5. Notice Boards of the Institute.
6. In-charge, Computer Centre, with a request to kindly upload the order on the Institute's website & E-office web portal